प्रेस विज्ञप्ति

15.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक को 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति की वापसी की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

ईडी की पहल के आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने हैदराबाद आंचलिक कार्यालय द्वारा जब्त की गई अचल संपत्तियों को छोड़ने के लिए माननीय मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश, हैदराबाद के विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 8(8) के तहत वापसी आवेदन दायर किया।

ईडी, हैदराबाद ने माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि जब्त की गई राशि को जनहित में सही दावेदार यानी एसबीआई को वापस कर दिया जाए। माननीय न्यायालय ने दिनांक 07.02.2025 के आदेशों के माध्यम से उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया और मेसर्स शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और उसके निदेशकों की 30.71 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को वापस करने का आदेश दिया।

ईडी मेसर्स शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड (एसआरएल) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। एसआरएल ने एसबीआई और पीएनबी सहित बैंकों के एक संघ से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था, जो बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गया। एसआरएल ने इन बैंकों से बिना किसी वास्तविक सामग्री या वैध व्यावसायिक लेनदेन की आपूर्ति के, नकली और जाली चालान के आधार पर 21 धोखाधड़ी वाले ऋण पत्र प्राप्त किए हैं। एसआरएल के प्रमोटरों ने हस्तांतरित ऋण पत्रों से धन को एसआरएल के बैंक खातों के साथ-साथ अपने स्वयं के और परिवार के सदस्यों के खातों में डायवर्ट किया। अपराध की आय आंशिक रूप से नकद में निकाली गई थी, जबकि एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों में निवेश करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। 03.08.2016 और 27.01.2022 के अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 52.77 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

यह ईडी द्वारा संपत्तियों को उनके सही दावेदारों को वापस करने और यह सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक और कदम है कि अपराध की आय प्रभावित लोगों को वापस कर दी जाए।